

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
(मानव संसाधन यूनिट)/(H.R.Unit)

सं.2:02:160

अप्रैल 13, 2023

कार्यालय आदेश सं.:56 / 2023

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013).

सक्षम प्राधिकारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। नीचे दिए गए सदस्यों का कार्यकाल 28.12.2020 तक या उनके अलगाव, जो भी पहले हो, तक होगा।

क्र. सं.	समिति सदस्य	
1.	श्रीमती उषा, मुख्य महाप्रबंधक	पीठासीन अधिकारी
2.	श्रीमती जसनीत गुरम, मुख्य महाप्रबंधक	सदस्य
3.	श्री कमलेश मेनन, महाप्रबंधक	सदस्य
4.	श्रीमती शैली गुप्ता, महाप्रबंधक	सदस्य
5.	श्री केएनवी सतीश बाबू पोलिमेरा, महाप्रबंधक (मा.सं.)	सदस्य
6.	श्रीमती कुलजीत कौर, एआईडबल्यूसी प्रतिनिधि	बाह्य सदस्य

समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अर्थात 13.04.2026 अथवा निगम से अलग होने की तारीख जो भी पहले हो, तक होगा।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

(ज्योति सचदेव)
उप प्रबंधक (मा. सं.)

वितरण

1. सभी कार्मिक
2. संबंधित सदस्य
3. सभी कार्यपालक निदेशक/ सभी विभागाध्यक्ष
4. कंपनी सचिव
5. क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)/ क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण)
6. सीएमडी के सहा. पीईएस / निदेशक (वित्त) के डीईएस/ निदेशक (परियोजना) के ईएस/ निदेशक (वाणिज्यिक) के डीईएस/ सीवीओ के डीईएस/
7. कार्मिक फाइल/ कार्यालय आदेश फाइल

प्रतिलिपि: मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी), पीएफसीसीएल

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) के अनुसार, महिला के साथ यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को कदाचार माना जाएगा। इस प्रयोजन हेतु गठित आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	समिति सदस्य	पद	संपर्क
1.	श्रीमती उषा, मुख्य महाप्रबंधक	पीठासीन अधिकारी	011-23456107
2.	श्रीमती जसनीत गुरम, मुख्य महाप्रबंधक	सदस्य	011-23456835
3.	श्री कमलेश मेनन, महाप्रबंधक	सदस्य	011-23456536
4.	श्रीमती शैली गुप्ता, महाप्रबंधक	सदस्य	011-23456409
5.	श्री केएनवी सतीश बाबू पोलिमेरा, महाप्रबंधक (मा.सं.)	सदस्य	011-23456304
6.	श्रीमती कुलजीत कौर, एआईडब्ल्यूसी प्रतिनिधि	बाह्य सदस्य	9971402522

किसी भी शिकायत को दर्ज करने की प्रक्रिया कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) के अनुसार होगी।